[2021] 2 एस. सी. आर 633

अलका खांडू अवध

वी.

अमर श्यामप्रसाद मिश्रा और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील No.258)

08 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - s.138 r/w S.141-अपीलार्थी के खिलाफ दायर शिकायत-उच्च न्यायालय ने रद्द करने से इनकार कर दिया

वही-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः असम्मानित चेक मूल अभियुक्त नं. 1 - अपीलार्थी का पति-यह उसके बैंक खाते में डाला गया था और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था-अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं। 2 क्या न तो चेक पर हस्ताक्षरकर्ता था और न ही उसके बैंक खाते से असम्मानित चेक निकाला गया था-विचाराधीन खाता संयुक्त खाता नहीं था - s.138 संयुक्त दायित्व के बारे में बात नहीं करता है-यहां तक कि एक संयुक्त दायित्व के मामले में, व्यक्तिगत व्यक्तियों के मामले में, एक व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति जिसने अपने द्वारा बनाए गए खाते पर चेक निकाला है, उस पर अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। s.138-अपीलार्थी को एस की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 141 या तो-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत को रद्द नहीं करने में गंभीर त्रुटि की-विवादित निर्णय ने प्रतिवादी नं. 1 - मूल शिकायतकर्ता को खारिज कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1.1 असम्मानित चेक मूल द्वारा जारी किया गया था

अभियुक्त नं. 1-अपीलार्थी का पति। यह मूल अभियुक्त संख्या 1 के बैंक खाते से लिया गया था। असम्मानित चेक पर मूल अभियुक्त नंबर 1 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें मूल अभियुक्त संख्या 2 अपीलार्थी न तो चेक का हस्ताक्षरकर्ता है और न ही उसके बैंक खाते से असम्मानित चेक निकाला गया था। कि विचाराधीन खाता संयुक्त खाता नहीं था। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के निष्पक्ष अध्ययन पर, किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले,

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता हैः (i) यह कि चेक किसी व्यक्ति द्वारा और उसके द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर निकाला जाता है; (ii) किसी भी राशि के भुगतान के लिए

किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए उस खाते से कोई अन्य व्यक्ति; और (iii) उक्त चेक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाता है, या तो इस राशि के कारण कि - उस खाते में जमा राशि पर्याप्त नहीं है

चेक का सम्मान करना या यह कि यह उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है। इसलिए, एक व्यक्ति जो चेक पर हस्ताक्षरकर्ता है और चेक उस व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा बनाए गए खाते पर निकाला जाता है और चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया है और उक्त चेक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला कहा जा सकता है। की धारा 138 एन. आई. अधिनियम संयुक्त दायित्व के बारे में बात नहीं करता है। संयुक्त देयता के मामले में भी, व्यक्तिगत व्यक्तियों के मामले में, एक व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति जिसने बनाए गए खाते पर चेक निकाला है।

उसके द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि बैंक खाता संयुक्त रूप से बनाए नहीं रखा जाता है और वह चेक पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। [पैरा 6,7] [637-जी-एच; 638-ए-जी]

1.2 एन. आई. अधिनियम की धारा 141 कंपनियों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है और इसे व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

दो निजी व्यक्तियों को "व्यक्तियों का अन्य संघ" नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 141 को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दायित्व व्यक्तिगत दायित्व है (एक संयुक्त दायित्व हो सकता है), लेकिन इसे किसी कंपनी या उसके द्वारा किए गए अपराध के रूप में नहीं कहा जा सकता है। फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ। इसमें अपीलकर्ता न तो निदेशक है और न ही किसी भी फर्म में भागीदार है जिसने चेक जारी किया है। इसलिए, अपीलार्थी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की सहायता। इसलिए, उच्च न्यायालय ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत को रद्द नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 21.08.2019 ने रद्द करने से इनकार कर दिया

अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायत अलखान्डू अवध बनाम।

अमर श्यामप्रसाद मिश्रा और ए. एन. आर.

अधिनियम एतद्वारा निरस्त और अलग कर दिया जाता है। विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित शिकायत का मामला प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल शिकायतकर्ता सी. सी. संख्या 2802/एस. एस./2016 को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। [पैरा 8,8.1] [639-ए-एफ]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः अपराधी

2021 की अपील संख्या 258

उच्च न्यायालय के 21.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. में बॉम्बे में न्यायपालिका। 2019 की रिट याचिका संख्या 2595।

समर्थ एस. करमरकर, जमनेश कुमार, सुश्री सुप्रियांका

करमरकर, हिमांशु शेखर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जुल्फिकार अली पी. एस., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और 2019 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 2595 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद 'एन. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है, मूल अभियुक्त संख्या 2 ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. उस प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यहाँ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है

अपीलार्थी और उसके पति के खिलाफ बोरीवली, मुंबई में 43 वें न्यायालय के विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, जिसे सी. सी. संख्या 2802/एस. एस./2016 के रूप में गिना गया है। वह प्रतिवादी संख्या 1-मूल शिकायत (इसके बाद 'मूल शिकायतकर्ता' के रूप में संदर्भित) मुंबई में एक वकील फर्म में एक अधिवक्ता और भागीदार है। के रूप में

इसके अनुसार

शिकायतकर्ता के मामले में, दोनों आरोपी जो पति और पत्नी हैं, ने एक कानूनी मामले में मूल शिकायत का दरवाजा खटखटाया। कि मूल शिकायतकर्ता ने आरोपी की सहायता की। 1 और 2 जवाब और प्रस्ताव की सूचना तैयार करने में, सम्मेलन, वकील के साथ समन्वय करना, वकालतनामा दायर करना और अधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से और संक्षिप्त मुकदमे में वकील के रूप में भी पेश होना। कि मूल शिकायतकर्ता ने कानूनी [2021] 2 एस. सी. आर. के लिए एक पेशेवर बिल उठाया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके द्वारा किया गया कार्य। 1 और 2 कानूनी कार्यवाही में। कि, उसके बाद, मूल अभियुक्त संख्या 1-का पति

इसमें अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को एक पोस्ट-डेटेड चेक सौंपा, जिस पर 15.03.2016 दिनांकित No.227050 अंकित था, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर रु. 8,62,000/- के लिए तैयार किया गया था। उक्त चेक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसे विज्ञापन निधि के साथ भुगतान किए बिना वापस कर दिया गया था।

अपर्याप्त "। कि, इसके बाद, मूल शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए एक कानूनी नोटिस दिया। हालाँकि, यह कि उक्त नोटिस अभियुक्त को विधिवत दिया गया था, अभियुक्त ने न तो उक्त नोटिस का जवाब दिया और न ही उपरोक्त असम्मानित चेक का भुगतान किया। इसलिए, शिकायतकर्ता ने एक याचिका दायर की

अपराध के लिए दोनों अभियुक्तों-पति और पत्नी के खिलाफ शिकायत

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय। कि विद्वत महानगर दंडाधिकारी, 43 वीं अदालत, बोरीवली, मुंबई ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया।

2.1 कि, इसके बाद, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त संख्या 2, मूल अभियुक्त संख्या 1 की पत्नी ने आपराधिक रिट याचिका संख्या 2595 दायर की। उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द करने के लिए कि अपीलार्थी ने न तो अनादर किए गए चेक पर हस्ताक्षर किए थे और न ही कोई संयुक्त बैंक खाता था।

2.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है

एनआई अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध के लिए। 2.3 हालाँकि, यह मूल शिकायतकर्ता की ओर से मामला था कि यह दोनों अभियुक्तों का संयुक्त दायित्व था। 1 और 2 व्यावसायिक बिल का भुगतान करने के लिए क्योंकि मूल शिकायतकर्ता ने दोनों अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया और इसलिए एन. आई. अधिनियम की धारा 141 पर विचार करते हुए, अपीलार्थी इसमें मूल अभियुक्त संख्या 2 भी निम्नलिखित दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी है।

- एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141। 2.4 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील को जन्म देते हुए, अपीलार्थी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि असम्मानित चेक उसके पति द्वारा जारी किया गया था न कि अपीलार्थी द्वारा और यहां तक कि विचाराधीन खाता भी अल्काखांडू अवध बनाम नहीं था।

अमर श्यामप्रसाद मिश्रा और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तत्व संतुष्ट नहीं हैं, और इसलिए, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द कर देना चाहिए था। 3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 भी चेक के रूप में लागू नहीं होगी।

एक निजी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था।

4. वर्तमान अपील का प्रतिवादी संख्या 1-मूल शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पेशेवर बिल के प्रति ऋण का भुगतान करने का दायित्व दोनों अभियुक्तों का संयुक्त दायित्व था क्योंकि

शिकायतकर्ता ने दोनों अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया और इसलिए, जैसा कि सही है।

उच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 लागू होगी।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ धारा 138 आर/डब्ल्यू के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन जारी किया था

एन. आई. अधिनियम की धारा 141 इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि क्योंकि चेक दोनों अभियुक्तों के कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और उसके बाद जब वह

पति ने चेक जारी किया, उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है। 6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विस्तृत रूप से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है, जिन्हें अभिलेख पर सामग्री माना जाता है और

शिकायत में कथनों और आरोपों पर विचार किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि असम्मानित चेक मूल द्वारा जारी किया गया था अभियुक्त नं. 1-अपीलार्थी का पति। यह मूल आरोपी नंबर 1 के बैंक खाते से लिया गया था। असम्मानित चेक पर मूल अभियुक्त नंबर 1 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, असम्मानित चेक पर हस्ताक्षर किए गए [2021] 2 एस. सी. आर.

मूल अभियुक्त नं. 1 द्वारा और यह मूल अभियुक्त नं. 1 के बैंक खाते में तैयार किया गया था। इसमें अपीलार्थी-मूल अभियुक्त संख्या 2 न तो चेक पर हस्ताक्षरकर्ता है और न ही उसके बैंक खाते से असम्मानित चेक निकाला गया था। कि विचाराधीन खाता संयुक्त खाता नहीं था। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इसमें अपीलकर्ता-मूल अभियुक्त संख्या 2 पर धारा 138 आर/डब्ल्यू के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

141 एन. आई. अधिनियम का?

7. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के निष्पक्ष अध्ययन पर, एक व्यक्ति के समक्ष

मुकदमा चलाया जा सकता है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता हैः

चेक का सम्मान करना या यह कि यह उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है। इसलिए, एक व्यक्ति जो चेक और चेक के लिए हस्ताक्षरकर्ता है, उस व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा बनाए गए खाते पर खींचा जाता है और

चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया है और उक्त चेक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला कहा जा सकता है। अनुभाग 138 एन. आई. अधिनियम संयुक्त दायित्व के बारे में बात नहीं करता है। संयुक्त दायित्व के मामले में भी, व्यक्तिगत व्यक्तियों के मामले में, एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर, जिसने अपने द्वारा बनाए गए खाते में चेक निकाला है, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि बैंक खाता संयुक्त रूप से बनाए नहीं रखा जाता है और वह चेक पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था।

8. अब, जहाँ तक मूल शिकायतकर्ता की ओर से मामला है कि इसमें अपीलार्थी-मूल अभियुक्त संख्या 2 को दोषी ठहराया जा सकता है एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की सहायता का संबंध है, उपरोक्त का कोई सार नहीं है।

अल्काखांडू अवध बनाम। अमर श्यामप्रसाद मिश्रा और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

कि "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है और इसलिए संयुक्त दायित्व के मामले में - दो या दो से अधिक व्यक्ति यह "व्यक्तियों के अन्य संघ" के अंतर्गत आएंगे और इसलिए एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की सहायता से, अपीलार्थी जो ऋण का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दो निजी व्यक्तियों को "व्यक्तियों का अन्य संघ" नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 141 को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दायित्व व्यक्तिगत दायित्व है (एक संयुक्त दायित्व हो सकता है), लेकिन इसे किसी कंपनी या उसके द्वारा किए गए अपराध के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

व्यक्तियों के संघ। इसमें अपीलकर्ता न तो निदेशक है और न ही किसी भी फर्म में भागीदार है जिसने चेक जारी किया है। इसलिए, अपीलार्थी को भी एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत को रद्द नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है। इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आर/डब्ल्यू धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कहा जा सकता है और इसलिए इसे रद्द करने और अलग करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 21.08.2019

2019 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 2595 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित

धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार करना एन. आई. अधिनियम को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर विद्वत महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित शिकायत का मामला-मूल शिकायतकर्ता सी. सी. संख्या 2802/एस. एस./2016 है जिसे इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे